दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1654/2022 **राज्य विरूद्ध हिरेन्द्र कुमार साहू**

Witness No.....**01**.....for.....**अभियोजन साक्षी**.....Deposition taken the.....**07.10.2024**.....day of.....**सोमवार**.....Witness's apparent age.....**44 वर्ष**..... States on affirmation.....**शपथपूर्वक**.....may name is.....**श्री सी.पी. सिंह** ..... son of.....**श्री सनमान सिंह**.....Occupation.....**सहायक जिला आबकारी अधिकारी**..... address.....**संभागीय उडनदस्ता दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)**.....

.....

समय 01:02 से

मुख्य परीक्षण द्वारा ए.डी.पी.ओ श्री निखिल सुषमाकर

01. मैं दिनांक 04.10.2022 को आबकारी वृत्त डोंगरगढ़ में सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हमराह स्टाफ के साथ जुर्म जरायम पता साजी हेतु ग्राम मुसराकला बाजार चौक रवाना हुआ था भ्रमण के दौरान मुखबीर सूचना मिली कि ग्राम मुसराकला बाजार चौक के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर धन अर्जित करने के लिए ग्राहक तलाश कर रहा है। हमरॉह स्टॉफ के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। गवाह रघुनाथ निषाद एवं जितेन्द्र कुमार साहू को मुखबीर सूचना से अवगत कराया। मुखबरी सूचना पंचनामा प्र.पी. 01 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । उन्हें कार्यवाही में गवाह के रूप में सम्मिलित होने के धारा 160 द.प्र.सं का नोटिस दिया था जो प्र.पी. 02 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

02. आरोपी हिरेन्द्र कुमार साहू का तलाशी लेने के पूर्व अपनी एवं अपने स्टॉफ की जामा तलाशी हिरेन्द्र कुमार को दिया । जामा तलाशी पंचनामा प्र.पी. 03 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं । आरोपी के हाथ में रखे थैले की तलाशी लिये जाने पर सफेद रंग के प्लास्टिक थैले में 18 कांच की 180 एम.एल. क्षमता वाले शीशियों में भरा तरल द्रव बरामद किया । तलाशी एवं बरामदगी पंचनामा प्र.पी. 04 है,जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं । बरामद सामाग्री की मेरे द्वारा मौके पर ही देख कर चख कर, सुंघ कर, लिटमस पेपर परीक्षण, थर्मामीटर एवं हाइडोमीटर की सहायता से जांच करने पर विदेसी मदिरा व्हीस्की होना पाया । मदिरा जांच पंचनामा प्र.पी. 05 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के

हस्ताक्षर हैं एवं स से स भाग पर सील नमूना अंकित हैं ।

03. आरोपी द्वारा अपने आधिपत्य में अत्याधिक मात्रा में मदिरा धारण कर्ता पाये जाने धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस प्र.पी. 06 दिया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं । बरामद सामाग्री को जप्त कर सीलबंद कर कब्जा आबकारी लिया । जप्ती पंचनामा प्र.पी. 07 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं । आरोपी को आधिपत्य सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा धारण करते पाये जाने पर मौके से गिरफ्तार किया था । गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 08 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं । घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी. 09 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं ।

04. थैला आधिपत्य पंचनामा प्र.पी. 10 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे एवं ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं । जमानत मुचलका प्र.पी. 11 है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं । मौके पर उपस्थित गवाह रघुनाथ निषाद एवं जितेन्द्र कुमार का कथन लेखबद्ध किया था । प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री नंदेश्वरी साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त</u>

05. यह कहना सही है कि जिन हमराह स्टॉफ के साथ मौके पर जाना बता रहा हूँ, उनमे से किसी भी हमराह स्टॉफ बतौर साक्षी कथन दर्ज नहीं किया हूँ और न ही प्रकरण से संबंधित किसी भी दस्तावेजो पर उनके हस्ताक्षर लिया हूँ । यह कहना सही है कि मैंने उक्त मदिरा खुले स्थान से जप्त किया था। यह कहना सही है कि घटना स्थल खुला स्थान है, जहां कोई भी आसानी से आ जा सकता हैं । यह कहना सही है कि उक्त द्रव को रासायनिक परीक्षण हेतु नहीं भेजा था । यह कहना सही है कि घटना स्थल के आसपास के लोगो को गवाह नहीं बनाया हूँ । यह कहना सही है कि प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही मेरे द्वारा किया गया हैं। यह कहना गलत है कि प्र.पी. 01 एवं 11 के कोरे दस्तावेज में स्वतंत्र साक्षी के हस्ताक्षर लेने के बाद बाकी कार्यवाही किया हूं ।

06. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा जामा तलाशी पंचनामा की कार्यवाही नहीं की गई हैं । यह कहना गलत है कि मुखबीर सूचना पंचनामा की कार्यवाही नहीं की गई थी । यह कहना गलत है कि गवाहो के बयान उनके बताये अनुसार दर्ज न कर अपने मन से दर्ज किया हूँ । यह कहना गलत है कि आरोपी को फंसाने के लिये झूठा प्रकरण बनाया हूँ । यह कहना गलत है कि प्र.पी. 07 में उल्लेखित

शराब मैं आरोपी से स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जप्त नहीं किया हूं। यह कहना गलत है कि घटना स्थल का नजरी नक्शा मैं मौके में तैयार न कर अपने कार्यालय में तैयार किया हूं। यह कहना गलत है कि स्वतंत्र साक्षीयो का कथन उनके बताये अनुसार न दर्ज आरोपी के विरूद्ध प्रकरण बनाने के उद्देश्य से बढा चढाकर लिखा हूं।

समाप्ति समयः– 01:10 तक

साक्षी को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

गवाह के हस्ताक्षर

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)

सही/–
(शैलेश कुमार वशिष्ट)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव(छ.ग.)